न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -02/2021-22

छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

कल्याण मुण्डा बनाम लखी मनी मुण्डा

02.02.22

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता –	कल्याण मुण्डा पिता–स्व० गोविन्द मुण्डा, ग्राम–दलकीडीह, पो०–रेलाडीह, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती वारी।
क्रेता का नाम एवं पता –	लखी मनी मुण्डा पति–श्री अमानत सिंह मुण्डा, ग्राम–हेंठ काँची, पो०–काँची, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–गृहणी।
विद्वान अधिवक्ता का नाम –	श्री विकाश चन्द्र गोराई।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–08/04/2021 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता लखी मनी मुण्डा पति–श्री अमानत सिंह मुण्डा, ग्राम–हेंठ काँची, पो०–काँची, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–गृहणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
दलकीडीह	बुण्डू/20	11	191	05 डी० चौहद्दीः– उ०–लेख्यकारी नीज। द०–लेख्यकारी नीज। पू०–नारायण महतो। प०–प्रस्तावित रास्ता।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक–536(ii) दिनांक–02/09/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) विक्रेता के पास रकबा–26.98 ए० भूमि है।

(2) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा–26.93 ए० भूमि बचती है।

(3) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बिमारी का इलाज हेतु बिक्री कर रहे है।

(4) विक्रेता खतियानी रैयत के परपोता लगते है।

(5) खतियान के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) प्रस्तावित जमीन पर वर्त्तमान में क्रेता का दखल कब्जा है।

(7) विक्रेता एवं क्रेता दोनो बुण्डू थाना के निवासी है।

(8) विक्रेता एवं क्रेता दोनो मुंडा जाति के है।

(9) प्रस्तावित जमीन का सरकारी रसीद हेमंत सिंह मुंडा वगैरह के नाम से निर्गत है।

(10) प्रस्तावित जमीन टाड़–I श्रेणी की है।

(11) प्रस्तावित भूमि भू हदबंदी, भू–अर्जन, गैरमजरूआ खस, वन, जंगल, झाड़ी, श्मशान, गोचर, नदी, नाला, कब्रस्तान एवं धार्मिक स्थल से बाहर है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत विक्रेता कल्याण मुण्डा पिता–स्व० गोविन्द मुण्डा, ग्राम–दलकीडीह, पो०–रेलाडीह, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती वारी, को क्रेता लखी मनी मुण्डा पति–श्री अमानत सिंह मुण्डा, ग्राम–हेंठ काँची, पो०–काँची, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–गृहणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–08/04/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता कल्याण मुण्डा पिता–स्व० गोविन्द मुण्डा, ग्राम–दलकीडीह, पो०–रेलाडीह, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती वारी, को क्रेता लखी मनी मुण्डा पति–श्री अमानत सिंह मुण्डा, ग्राम–हेंठ काँची, पो०–काँची, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–गृहणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)a के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला

अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
दलकीडीह	बुण्डू / 20	11	191	05 डी० चौहद्दीः— उ०—लेख्यकारी नीज। द०—लेख्यकारी नीज। पू०—नारायण महतो। प०—प्रस्तावित रास्ता।

लेखापित एवं संशोधित।

02/02

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

02/02

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.03.09 14:17:02 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:2cb1:2bc4:62dc:a57c